न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—166 / 2022 / 225 आर.टी.एक्ट (2022 / 166)

1. रामभरोस पुत्र मांगीलाल जाति लोधा निवासी कालेडा कंवर जी तहसील सांवर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लादू पुत्र भीवडा जाति लोधा निवासी कालेडा कंवर जी तहसील सांवर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. रामचरण पुत्र मांगीलाल
3. रामकृपाल पुत्र मांगीलाल
4. गोपाल पुत्र भूरा
5. महावीर पुत्र भूरा
6. सूरजी पुत्र भूरा
7. गौरू पुत्र लालू
8. छोटी पत्नी मूलचंद
9. राधेश्याम पुत्र मूलचंद
10. सोदरा पुत्र मूलचंद
11. रामस्वरूप पुत्र नाथू
12. शांति पत्नी भैरू
13. राजेन्द्र पुत्र भैरू
14. रामकुवार पुत्र भैरू
15. रजनीश पुत्र भैरू
16. राजकुमारी पुत्री भैरू
17. रामेश्वर पुत्र रामनारायण

    समस्त जाति खाती निवासीगण कालेडा कंवर जी तहसील सांवर जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 राजस्व वाद संख्या 02 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4, 5, 9, 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 6 से 8, 10, 12 से 17 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 02.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अप्रार्थी/अपीलांट एवं अन्य अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी/अपीलांट के खसरा नम्बर 851 व 852 में से रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 6 से 8, 10, 12 से 17 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपीलान्ट को नोटिस तामील कराये बगैर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर निर्णय दिनांक 11.10.2021 पारित किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। उक्त संदर्भ में अवाप्त शुदा भूमि की मुआवजा राशि के भुगतान हेतु नोटिस दिया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर रास्ता कायम किये जाने संबंधी कार्यवाही दिनांक 18.06.2022 को की जायेगी। तब दिनांक 16.06.2022 को निर्णय संबंधी नकले प्राप्त कर बिना विलम्ब के आज दिनांक 17.06.2022 को अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अपीलान्ट को नोटिस तामील कराये बगैर जवाब व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति लिये बगैर एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बगैर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने निर्णय दिनांक 11.10.2021 पारित किया जो प्राकृतिक न्याय एवं सहसिद्धान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी की प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपीलान्ट की तलबी में प्रकरण चलता रहा है तथा दिनांक 08.04.2021 से पेशी दिनांक 30.04.2021 नियत की थी लेकिन पत्रावली दिनांक 30.04.2021 को भी नियत नहीं हुयी और एकाएक दिनांक 25.06.2021 को सील लगाकर दिनांक 30.08.2021 नियत की गयी जिस पर रजिस्टर्ड ए.डी. से तामीली के आदेश दिये थे यही आदेश दिनांक 23.09.2021 को देते हुये दिनांक 11.10.2021 की पेशी नियत की गयी लेकिन प्रार्थी/रेस्पो० सं० 1 की ओर से रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये और ना ही कोई नोटिस जारी हुये ना ही सुनवायी का अवसर दिये बगैर अंतर्गत आदेश अपील पारित करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.10.2021 को यह लिख दिया गया कि यह प्रकरण अभियान–2018 में कैम्प दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत हुआ था लेकिन उस अभियान में भी अप्रार्थीगण नोटिस के बावजूद गैर हाजिर रहे थे और आज भी अनुपस्थित रहे। इस कारण बिना नोटिस तामील कराये प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.06.2018 को पत्रावली में केवल सील

अंकित है जिसमें पी.ओ. साहब भ्रमण में है और पत्रावली दिनांक 24.08.2018 को पेश होना अंकित किया है। इस प्रकार गलत रूप से निर्णय में अंकन कर बिना नोटिस तामील कराये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष पूर्व में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 पत्रावली में शामिल मिसल है उसके बावजूद दुबारा रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 किस आदेश से मांगवायी गयी तथा उक्त रिपोर्ट मंगवाने से पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और अगर उक्त रिपोर्ट को भी देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने रिपोर्ट में अंकित किया है कि वर्तमान में प्रार्थी ख०न० 899 व 833 गैर मुमकिन रास्ते से ख०न० 837 व 836 की मेड से होकर आता जाता रहा है जिससे यह स्पष्ट है कि वैकल्पिक रास्ता उसके पास है तथा धारा 251 (क) के तहत सुविधा की दृष्टि से रास्ता नहीं दिया जा सकता उसके बावजूद गलत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के खातेदारी ख०न० 851 व 852 में से रास्ता देने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष केवल मात्र अपीलान्ट के ख०न० 851 रकबा 0.08हे0 व 852 रकबा 0.04हे0 में से ही रास्ता दिया गया है तो फिर ख०न० 853 व 854 को किस कारण प्रार्थना पत्र रास्ते संदर्भ में दर्ज किया गया एवं उनके खातेदार जो अन्य अप्रार्थीगण थे को क्यों पक्षकार बनाया गया साथ ही अपीलान्ट की आराजी का ख0न0 851 व 852 का रकबा बहुत ही छोटा है और उन में से अगर रास्ता दे दिया जाता है तो अपीलान्ट जिसका जीवनयापन कृषि पर आधारित है उसमें से रास्ता देने में भारी भूल की है जबकि ख०न० 853 व 854 जो जिसका रकबा काफी बढ़ा है और अगर रास्ता देना ही था तो उक्त ख०न० में से रास्ता देना चाहिये था। उसके बावजूद गलत रूप से अपीलान्ट के ख०न० में से रास्ता दिये जाने में से भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रार्थी के द्वारा अपूर्ण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रास्ते के आदेश पारित किये है साथ ही धारा 251 (क) की मंशा एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर रेस्पो० सं० 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के ख०न० में से रास्ता स्वीकार करने में भारी भूल की है। जबकि संलग्न मौका रिपोर्ट एवं नक्शे से यह स्पष्ट है कि रेस्पो० सं० 1 ख०न० 899 व 833 गैर मुमकिन रास्ते में से होकर ख०न० 837 व 836 में से होकर आता जाता रहा है इसलिये वैकल्पिक रास्ता पूर्व में ही है और अगर उक्त रास्ते की बजाय अन्य रास्ता दिया भी जाता है तो वह ख०न० 853 व 854 में से दिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेडा कंवर जी के खसरा नम्बर 850 रकबा 0.07 है. में आने जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 851, 852, 853 और 854 में होकर आता जात है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावे। ताकि वह स्वयं की खातेदारी आराजी खसर नम्बर 850 रकबा

0.07 है0 में आ जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.10.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 850 रकबा 0.07 है0 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 851, 852, 853 व 854 में से रास्ता दिलाए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 12.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए। तत्पश्चात पत्रावली बकाया तलबी में आगामी पेशी दिनांक में नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2018 को पत्रावली को केम्प कोर्ट कालेडा कंवर जी में प्रस्तुत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि केम्प कोर्ट में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमति हो। वर्तमान प्रकरण में पत्रावली तलबी में नियत चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को केम्प कोर्ट में नियत किया गया जबकि दिनांक 13.06. 2018 की आदेशिका में पी0ओ0 साहब भ्रमण पर हैं कि सील अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में उपस्थिति बाबत नोटिस भी जारी किया गया परंतु उक्त नोटिस पर कुछ पक्षकारों के ही हस्ताक्षर किए गए हैं। किसी भी दृष्टि यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान अपीलांट/अप्रार्थी को इस बाबत सूचना रही हो कि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में नियत किया जा रहा है। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट/अप्रार्थी को इस बाबत सूचना नहीं रही होगी की अधीनस्थ न्यायालय में उनकी आराजीयात से संबंधित प्रकरण नियत है चूंकि उनके नोटिस तामील ही नहीं हुए थे।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2021 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि साधारण नोटिस किन किन पक्षकारों के तामील हुए अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार के कोई साधारण नोटिस भी उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.09.2021 को पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी बाबत नियत थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की विधिवत प्रक्रिया का पालन किए प्रकरण में एकपक्षीय निर्णय दिनांक 11.10.2021 पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार के नोटिस उपलब्ध नहीं है इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रकरण में अप्रार्थीगण/अपीलांट को बिना विधिक नोटिस तामील करवाए सुनवाई का समुचित अवसर दिए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट आराजी खसरा नम्बर 851 व 852 के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से खसरा नम्बर 851, 852, 853, 854 में से रास्ता मांगा गया था। उक्त प्रकरण में प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 को प्रस्तुत की गई जिसके तहत रास्ता खसरा नम्बर 851 व 852 से बताया गया तथा उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। उसके बावजूद दुबारा रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 किस आदेश से मांगवायी गयी तथा उक्त रिपोर्ट मंगवाने से पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि वर्तमान में प्रार्थी ख०न० 899 व 833 गैर मुमकिन रास्ते से ख०न० 837 व 836 की मेड से होकर आता जाता रहा है। परंतु मौका रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद है कि नहीं इस बाबत मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में तैयार मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय है चूंकि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट/अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनाई जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है। मौका रिपोर्ट में केवल रेस्पोडेंट/प्रार्थी के ही हस्ताक्षर हैं तथा उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट/अप्रार्थीगण के व अन्य मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट बनाते समय धारा 251 ए के तहत वर्णित तीन मुख्य बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, दिया गया मार्ग लघुत्तम व वैकल्पिक मार्ग का अभाव इन बिंदुओं का भी मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस बारे में मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की विधिवत रूप से तामीली प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए व खसरा

नम्बर 851 व 852 के रकबों की जांच कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर